

FROM – NAFISUZZOHA, Advocate

For Petitioner

Main Hall, Advocate Association

Patna High Court. Patna Mob: 9931880160

To,

The Advocate General,

Bihar, Patna.

Ref: CWJC No. -----/2014

M.C.M.S.M. M.D. Madhepura Petitioner/s

md. Gohar Alam
Versus

The State of Bihar & ors Respondent/s

Sir,

Please take notice that a petition is going to be filed on behalf of the
Petitioner, a copy of which is attached herewith for your perusal.

Kindly accept and acknowledge of the same.

Your's faithfully

Nafisuzzoha
Advocate

AOR No. 02998

23-9-14

*Arvind Kumar NO2
SC17*

For 24-09-2014

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C NO. OF 2014

Managing Committee, Madarsa Sabiria Majidia, Medheli
Bazar, Madhepura, through its Secretary, Md. Gohar
Alam. ----- Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Others. ----- Respondents.

Sub: *Dhār Miscellaneous*

I N D E X

<u>Sl.</u>	<u>Particulars.</u>	<u>Page No.</u>
1	Writ Application with Affidavit.	1-15
2.	Annex-1. Copy of Letter dated 14.02.2013.	16-18
3.	Annex-2. Copy of the Letter dated 12.03.2014	19-20
4.	Annex-3. Copy of the Order dated 15.07.2013	21
5.	Annex-4. Copy of the Memo No. 5636-44 dated 19.08.2013	22
6.	Annex-5. Copy of the proceeding of managing committee dated 07. 12.2013	23-24
7.	Annex-6. Copy of Application dated.30.06.2014.	25-28
8.	VAKALATNAMA	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C NO. OF 2014

Managing Committee, Madarsa Sabiria Majidia, Medheli
Bazar, Madhepura, through its Secretary, Md. Gohar
Alam. ----- Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Others. ----- Respondents.

SYNOPSIS

This application is being filed for issuance of a writ in the nature of Certiorari or any appropriate writ, order, orders or direction for quashing/setting aside the Memo No. 1061-2/सा० dated 15.07.2013, (Annex-3) by which the respondent no. 3, the District Magistrate Madhepura has ordered to the petitioner to deposit the amount in the District Nazarat, and obtained receipt from the District Nazir for the same. Further prayer is that the commanding the respondents to restrained them not to recover the amount which is fictitious and based on wrong presumption and assessment of the authority.

DATE OF EVENTS:

- 14.02.2013 The Addl. Collector prepared report and submitted it before the District Magistrate, vide Letter No.11/44 /गो०
- 12.03.2014 The learned District Magistrate Madhepura forwarded the same enquiry report to the Human Rights Commission, Patna.
- 15.07.2013 In compliance to the order of Human Rights Commission, the learned District Magistrate, Madhepura passed the impugned order.
- 19.08.2013 The Bihar Madarsa Education Board issued order of approval order vide Memo No.5636-44 and all the administration of the Madarsa taken over by the said Managing Committee.
- 07.12.2013 The Managing Committee, its members commenced a meeting, in which all the care-takers agreed to deposit amount which were in their hand from the income of the agriculture land of the said Madarsa.
- 30.06.2014 The petitioner and the local villagers gave an application, to the District Magistrate Madhepura.

HENCE THIS WRIT APPLICATION

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

*filed through -
Nafisuzzaman
Adv. in C.A.*

C.W.J.C NO. OF 2014

In the matter of an
application under Article 226
and 227 of the Constitution
of India;

AND

In the matter of:

Managing Committee, Madarsa Sabiria Majidia, Medheli
Bazar, Madhepura,

through its Secretary,

Md. Gohar Alam son of Late Noorul Hoda,

Resident of Village- Purani Bazar, Ward No. 10,

P.S and District-Madhepura.----- Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar.
2. The Secretary, Bihar Human Rights Commission- 9,
Bailey Road, Patna.
3. The District Magistrate, Madhepura.

4. The Additional Collector, Madhepura.
5. The District Agriculture Officer, Madhepura.
6. The Sub-Divisional Officer, Madhepura.
7. Anchaladhikari, Anchal- Shankarpur, District-
Madhepura.
8. Rahmati Khatoon daughter of Md. Khatim.

Resident of Village-Jirwa Madheli, P.S-
Shankarpur, District-Madhepura.

----- Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the
Chief Justice of the High Court of judicature
at Patna, and Her companion justices of the
Said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf
of the petitioner named
above:

Most Respectfully Sheweth:

1. That, this is an application for invoking the
writ jurisdiction of this Hon'ble Court for grant
of following reliefs:

- I) For issuance of a writ in the nature of Certiorari or any appropriate writ, order, orders or direction for quashing/setting aside the Memo No. 1061-2/सा० dated 15.07.2013, (Annex-3) by which the respondent no. 3, the District Magistrate Madhepura has ordered to the petitioner to deposit the amount in the District Nazarat, and obtained receipt from the District Nazir for the same.
- II) For issuance of a writ in the nature of Mandamus or any other appropriate writ, order, orders or direction for restraining the respondent authorities to recover the income from cultivation of agricultural land belonging to said Madarsa which has wrongly assessed of about ` 18 lakhs.
- III) For issuance of any appropriate, order, direction for commanding the respondents not to interfere in the matter of said Madarsa and its management only on the basis of fake and wrong consideration of fact.

IV) For grant of any relief or reliefs for which the petitioner entitled fit and proper in the facts and circumstances of the case.

2. That, the following questions of law are involved in this case for kind consideration:

- i) Whether the respondent no.3, the learned District Magistrate passed impugned order without having jurisdiction?
- ii) Whether the impugned order passed on the basis of wrong presumption as well as wrong assessment which have no merit in the eye of law?
- iii) Whether the respondent no.2 the state human rights commission having jurisdiction to give direction to respondent no.3 to enquire the matter?
- iv) Whether there are any human right violation in complaint made by respondent no.8, and it has unnecessarily been entertained by the respondent no.2?

- v) Whether the respondent human rights commissions failed to consider that the matter is beyond its jurisdiction?
- vi) Whether the entire proceeding of enquiry and passing order against the petitioner is unwarranted and without jurisdiction?
- vii) Whether the respondent authorities failed to consider that the Madarsa running under the jurisdiction of state Madarsa Education Board and it has power to look the matter?
- viii) Whether the action of respondents are against the Article 30 of the Constitution of India which defines Rights of Minority to Establish and Administer Educational Institutions?
- ix) Whether the statement and pleading of private respondent no.8 can be basis of the enquiry as she is not even a member of the management committee?
- x) Whether the impugned order passed by the respondent no. 3 a result of misuse of Official Power?

3. That, the petitioner is a citizen of India and he is Secretary of the Managing Committee of said Madarsa which ~~is~~ comes under the jurisdiction of this Hon'ble Court.
4. That, the fact leading to this application is that one Rahmati Khatoon respondent no.8 filed a complaint before the Bihar Human Rights Commission respondent no.2, vide Complaint No.BHRC/Comp-257/12, in which she alleged that the Madarsa Sabiria Majidia has about 25.50 acres of land which has been cultivated by the petitioner/secretary and some other persons since 2005 as their personal property and she requested for recovery of agricultural income.
5. That, after receiving the complaint the respondent no.2, sent it to respondent no.3, the District Magistrate, Madhepura to enquire the matter and submit its report before it. The District Magistrate forwarded it to the respondent no.4, the Addl. Collector.
6. That, the Addl. Collector with the support of respondent no.7 and other local karmchari,

prepared report and submitted it before the District Magistrate, vide Letter No.11/44 /गो० dated 14.02.2013 in which the Addl. Collector also made some suggestions in this regards.

A true/photo copy of Letter dated 14.02.2013 is annexed hereto and marked Annexure-1.

7. That, the learned District Magistrate Madhepura forwarded the same enquiry report to the Human Rights Commission on the basis of which the Human Rights Commissions ordered to other respondents to take steps in regards to the complaint filed by the respondent no.8 vide Letter BHRC/Comp.257/12. 3483 dated 12.03.2013 for compliance the same.

A true/photo copy of the Letter dated 12.03.2014 is annexed hereto and marked Annexure-2.

8. That, in compliance to the order of Human Rights Commission, the learned District Magistrate, Madhepura passed the order dated 15.07.2013 and

ordered to deposit the amount which have been assessed and submitted by the respondent no.5, the District Agriculture Officer, from the agriculture land of the said Madarsa in the District Nazarat.

A true/photo copy of the Order dated 15.07.2013 is annexed hereto and marked Annexure-3.

9. That, it is pertinent to mention here that the respondent no.8 Rahmati Khatoon filed complained without being a member of the Managing Committee, neither she has any concern with the management of the Madarsa. In fact, she has illegally encroached the land of the Madarsa of Khata No.2705, Khesra No.12820 on objection raised by the villagers and care-taker of the Madarsa's land in retaliation she raised such matter through the State Human Rights Commission.
10. That, the fact behind that in the year 2005 the previous Managing Committee dissolved due to death of its Secretary namely Noorul Hoda, since

then the rest members of Managing Committee worked as care-taker of the Madarsa and the lands were given on leased and leased amount used for the students of the said Madarsa and it was running smoothly.

11. That, it is humbly submitted that in the year 2008 the " Kosi Disaster" held and due to this the said Madarsa as well as its whole land destroyed, the land were not been used as agriculture purpose as sands were covered on it, the lease holders left the land and not paid the yearly lease money.
12. That, it is stated and humbly submitted that the lands were deserted for two years thereafter the care-takers again developed the lands for agriculture use by investing money on it, and slowly the lands became fertile, and all the members called a meeting on 27.01.2012 of public nature in which they gave their income and expenditure.
13. That, in the meantime a proposal of new Managing Committee passed by the local villagers

under the presidentship of Shakil Ahmad and same has been forwarded to the Bihar State Madrasa Education Board, Patna for its approval and the Board issued order of approval order vide Memo No.5636-44 dated 19.08.2013 and all the administration of the Madarsa take over by the said Managing Committee.

A true/photo copy of the Memo No. 5636-44 dated 19.08.2013 is annexed hereto and marked Annexure-4.

14. That, the new Managing Committee, its members commenced a meeting on 07.12.2013, in which all the care-takers agreed to deposit amount which were in their hand from the income of the agriculture land of the said Madarsa. The amount paid to the Secretary of the Managing Committee by the care-takers.

A true/photo copy of the proceeding of managing committee dated 07.12.2013 is

annexed hereto and marked
Annexure-5.

15. That, it is most respectfully submitted that the respondent no.8 Rahmati Khatoon who filed complain before several forum in regards to the management of the Madarsa in absence of legal management committee, and on the basis of which the impugned order passed, has no valid and legal value in the eye of law.

16. That, the respondent no.8 due to her personal interest and in view of grabbing the land of the Madarsa she with intention to take the care-takers under clutch filed several complain and even lodged criminal case against the petitioner and other care-takers of the Madarsa.

17. That, the petitioner and the local villagers gave an application dated 30.06.2014, to the District Magistrate Madhepura in which the whole illegal activities of the respondent no.8 described and prayed for vacate the land of Madarsa which is illegally encroached by the respondent no.8.

A true/photo copy of the application dated 30.06.2014 is annexed hereto and marked Annexure-6.

18. That, it is most respectfully submitted that the respondent no.2 unnecessarily took interest in this matter and directed to the concern District Magistrate to enquire the matter, as it is not comes in its jurisdiction even it is not comes under the definition of human rights violation.
19. That, the learned District Magistrate also passed the impugned order even without having jurisdiction and interfered the matter of personal administration of minority institute which has guaranteed under Article 30 (1) of the Constitution of India.
20. That, it clear from the above submissions that the respondent no.8 was not aggrieved by the Managing Committee neither her human rights were violated by the petitioner, it is due to her personal interest she raised the false allegation

and every respondent worked on wrong presumption and finally passed the impugned order, which is bad in the eye of law.

21. That, as the respondent no.5 assessed the income from the agriculture land of the said Madarsa not considered that the lands comes under the Deyara and effected from the Kosi river, and after the 2008 Kosi Flood the whole land became unused for the agriculture, but the same caretakers any how managed the expenses of the student of the said Madarsa.
22. That, there is no efficacious and expeditious remedy except by way of filing this writ application.
23. That, the petitioner has not moved before this Hon'ble Court earlier against the present impugned order.

It is, therefore, prayed that Your Lordships may be pleased to issue a Rule NISI asking the respondents to show cause as to why the prayer made in para 1 of this application be not

allowed and after the return of the Rule, considering the show cause, if any, filed by the respondents and bearing the parties allow the application and make the Rule absolute, and operation of impugned order may be stayed.

AND/OR

Pass such other order or orders as may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

And for this, the petitioner shall ever pray.

Affidavit

I, Md. Gohar Alam, aged about 42 years son of Late Noorul Hoda, Resident of Village- Purani Bazar, Ward No. 10, P.S and District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I am petitioner in this case as such am well conversant with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this application as well as affidavit have been read over explained to me in Hindi which I have fully understood and same are true to my knowledge.
3. That the statement made in paragraph nos. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15 & 16 are true to my knowledge and those of the statements which are contained in paragraph 6, 7, 8, 13, 14, 17, nos. are true to my information derived from the records of the case and the rest of the statements are by way of submissions.
4. That the annexure are the true/photo copies of their respective originals.

Gohar Alam

अ-1

29

बरीय प्रभारी पदाधिकारी
खाखा ..स.स.स.स.स.


समाहरणालय, मधेपुरा
पत्रांक 11/447/गो०

प्रेषक :-

अपर समाहर्ता,
मधेपुरा ।

0
सुश्री रहमती के
m

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा ।



मधेपुरा, दिनांक 14 फरवरी 2013 ई०।

बिहार मानवाधिकार अयोग से संबंधित सुश्री रहमती खातुन पिता- मो० आतीम, जीरवा मधेली के आवेदन पत्र की जाँच के संबंध में ।

सामान्य शाखा के संविक्र संख्या-43-70/2012 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-10/ टि० पर भवदीय आदेश दिनांक 12.01.2013 ।

प्रसंग :-

विश्वसम्मान

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित भवदीय प्रसंगाधीन आदेश के आलोक में बिहार मानवाधिकार अयोग से संबंधित सुश्री रहमती खातुन पिता- मो० आतीम, जीरवा मधेली के आवेदन पत्र से संबंधित स्थलीय जाँच प्रतिवेदन एवं तत्संबंधी सी०डी० इस पत्र के साथ संलग्न आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

कृपया पावती स्वीकार की जाय ।

अबुलग्नक :- यद्योक्त ।

235
16/02/13

[Handwritten signature]

विश्वसम्मान,

[Handwritten signature]
अपर समाहर्ता,
मधेपुरा ।

नोट :- सुश्री रहमती खातुन पिता- मो० आतीम के आवेदन पत्र की जाँच के संबंध में

बिहार मानवाधिकार अयोग से संबंधित सुश्री रहमती खातुन पिता- मो० खातिम , जीरवा मधैली के आवेदन पत्र से संबंधित जाँच प्रतिवेदन

जाँच पदाधिकारी :- राकेश कुमार, अपर समाहर्ता, मधेपुरा

जाँच की तिथि :- 14.02.2013, समय :- 11:00 पूर्वा०

जाँच का स्थल :- मदरसा साविरिया मजिदिया, मधैली बाजार, अंचल :- शंकरपुर

जाँच के वक्त उपस्थित अधिकारी :- अंचल अधिकारी, शंकरपुर/ प्रभारी अंचल निरीक्षक, शंकरपुर/ स्थानीय राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन एवं स्थानीय ग्रामीण ,ग्राम- मधैली

पूर्व में की गई जाँच :- अंचल अधिकारी, शंकरपुर/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा

जाँच का प्रसंग :- बिहार मानवाधिकार अयोग से संबंधित सुश्री रहमती खातुन पिता- मो० खातिम , जीरवा मधैली के आवेदन पत्र से संबंधित जाँच ।

सामान्य शाखा के संचिका संख्या-43-70/2012 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या- 10/टि० पर भवदीय आदेश दिनांक 12.01.2013 के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 14.02.2013 को अंचल अधिकारी, शंकरपुर/ अंचल निरीक्षक/ अंचल अमीन एवं स्थानीय राजस्व कर्मचारी तथा अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में स्थलीय जाँच की गई , स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

मुख्य आरोप :-बिहार मानवाधिकार अयोग से सुश्री रहमती खातुन के प्राप्त आवेदन पत्र में मदरसा साविरिया मजिदिया, मधैली बाजार, अंचल शंकरपुर के कुल 25.50 एकड़ धारित भूमि में से कृषि योग्य भूमि से प्राप्त आय का उपभोग गौहर आलम, मनोहर आलम, सरवर आलम, चौहर आलम पिता -स्व० नुरुलहोदा , अनवारुल हक पिता- स्व० वाज्जुल हक , इरफान आलम एवं फुरकान आलम पिता- स्व० जमाल अहमद आदि के द्वारा किये जाने से संबंधित मुख्य आरोप लगाये गये हैं ।

पूर्व में की गई जाँच :- पूर्व में प्रश्नगत मामले में अंचल अधिकारी, शंकरपुर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा भी स्थलीय जाँच की गई है जिसका जाँच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्र संख्या-1700-2 दिनांक 30.11.2012 द्वारा भवदीय को समर्पित किया गया है ।

पूर्व के वाद/विवाद :- आवेदिका रहमती खातुन पिता-मो० खातिम का घर मदरसा से सटे उत्तर में है। आवेदिका एवं गौहर आलम, मनोहर आलम, सरवर आलम, चौहर आलम पिता -स्व० नुरुलहोदा वगैरह के बीच मानवीय सी०जे०एम० , मधेपुरा के न्यायालय में भी परिवाद सं० 718/09 चला था तथा सुश्री रहमती से संबंधित मामला महिला आयोग में भी चला था। जाँच के समय आवेदिका गाँव में उपस्थित नहीं थी, परन्तु उनके पिता मो० खातिम उपस्थित हुए। आवेदिका रहमती खातुन पिता-मो० खातिम जो अपने आवेदन पत्र में उक्त मदरसा का प्रबंधक बताती है ,वास्तव में वे मदरसे के प्रबंध कमिटी का कोई सदस्य है या नहीं है, से संबंधित कोई साक्ष्य आवेदिका के पिता मो० खातिम द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया ।

जाँच के कम में यह भी बात प्रकाश में आई कि पूर्व प्रबंधक स्व० नुरुलहोदा की मृत्यु वर्ष 2005 में हुई थी । उनके मृत्यु के पश्चात प्रबंध कमिटी भंग हो गई, आपसी विवाद के कारण पुनः कमिटी का गठन नहीं हो पाया । जाँच के कम में यह भी बताया गया कि वर्तमान में कमिटी गठित हुई है जो मदरसा बोर्ड द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया में है तथा जाँच के समय तक अनुमोदन अप्राप्त है।

वर्तमान स्थिति :- अधोहस्ताक्षरी द्वारा जाँच के कम में अंचल कार्यालय, शंकरपुर में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अनुसार बीबी मजिदन पति-जमीर अली के द्वारा मदरसा साविरिया मजिदिया, मधैली के नाम से 31 बीघा 18 कटछ जमीन दान में दिया गया है जिसका जमीबंदी 430 में बीबी मजिदन पति-जमीर अली मदरसा मधैली के नाम से दर्ज है । परन्तु, अंचल अधिकारी, शंकरपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अतिथानी रकबा मौजा-जिरवा ,वाना नं० 207, खाता संख्या- 2698, 2699 एवं 2700 के विभिन्न खेसरा भिसाकर कुल 25.50 एकड़ भूमि मदरसा साविरिया मजिदिया, मधैली के नाम से है।

स्थलीय जाँच के कम में मदरसा के कुल भूमि 25.50 एकड़ भूमि में से कृषि योग्य भूमि, जिसमें वर्तमान में गेहूँ / राई / तोड़ी का फसल लगा हुआ पाया गया । स्थानीय जाँच से यह बात प्रकाश में आई कि उक्त कृषि योग्य भूमि का उपभोग गौहर आलम, मनोहर आलम, सरवर आलम, जौहर आलम पिता -स्व० बुरुलहोदा , अनवारुल हक पिता- स्व० बाजूल हक , इरफान आलम एवं फुरकान आलम पिता- स्व० जमाल अहमद के द्वारा किया जाता है जो अपने को दानकर्ता के रिस्तेदार बतलाये, तथा उससे प्राप्त आय भी उनके द्वारा ही रखा जाता है । स्थल पर उक्त भूमि में खेती करने एवं उससे प्राप्त आमदनी रखने की बात गौहर आलम, मनोहर आलम, सरवर आलम, जौहर आलम पिता -स्व० बुरुलहोदा , अनवारुल हक पिता- स्व० बाजूल हक , इरफान आलम दगैरह द्वारा भी स्वीकार की गई ।

मदरसा की कृषि योग्य भूमि का उपभोग करने वाले उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा यह बताया गया कि मदरसा के कृषि योग्य भूमि से प्राप्त राशि मदरसे के बच्चों/मदरसे के रख रखाव में खर्च करने के बाद जो राशि बची है उसे प्रबंध कमिटी भ्रष्ट नहीं रहने के कारण मदरसा के खाते में जमा नहीं किया जा सका है । यह भी बताया गया कि वर्तमान में गठित कमिटी को मदरसा बोर्ड द्वारा अनुमोदन मिलने के पश्चात कमिटी में जमा कर दिया जाएगा । जांच के समय मदरसा के नाम से संचालित बैंक खाता या आय-व्यय का कौरा संबंधी कागजात किसी के द्वारा भी प्रस्तुत नहीं किया गया ।

जाँच के कम में अधोहस्तानरी द्वारा मदरसा के कृषि योग्य भूमि , जो मदरसा से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है , का भी स्थल निरीक्षण किया गया । वर्तमान में उक्त कृषि योग्य भूमि पर गेहूँ/ राई एवं तोड़ी का फसल लगा हुआ पाया गया ।

वर्तमान जाँच पदाधिकारी का मताप्य :- उपर्युक्त जाँच से स्पष्ट हुआ कि मदरसे की कृषि योग्य भूमि का उपभोग वास्तव में गौहर आलम, मनोहर आलम, सरवर आलम, जौहर आलम पिता -स्व० बुरुलहोदा , अनवारुल हक पिता- स्व० बाजूल हक , इरफान आलम एवं फुरकान आलम पिता- स्व० जमाल अहमद आदि के द्वारा किया जाता है तथा उससे प्राप्त आय भी उनके द्वारा ही रखा जाता है । वित्तकी वसूली कर मदरसे के खाता में जमा कराना आवश्यक है। वर्ष 2005 से अब तक हुए उपज आदि से प्राप्त आय का आकलन इस स्तर से संभव नहीं है । ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि :-

1. वर्ष 2005 से अब तक हुए उपज आदि से प्राप्त आय का आकलन जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा से करवाकर एक सप्ताह के अन्दर कुल राशि मदरसा के खाते में जमा कराने का आदेश दिया जा सकता है ।
2. सम्पूर्ण स्थिति की जानकारी विभिन्न राज्य मदरसा बोर्ड , पटना को देते हुए कमिटी के गठन के संबंध में दिशा निर्देश की मांग/ अवतर करवाई करने हेतु अनुमोद किया जा सकता है।
3. जब तक प्रबन्ध कमिटी का गठन नहीं हो जाता है तब तक के लिए अंचल अधिकारी, शंकरपुर को रिजर्वर नियुक्त करने एवं मदरसे के देखरेख की जिम्मेदारी सौंपने पर विचार किया सकता है ।

पूरे जाँच प्रक्रिया का वीडियोब्राफी कराया गया है जिसका सी0डी0 आवश्यक कार्याय इसके साथ संलग्न किया जा रहा है।

अनुलग्नक :- यद्योक्त।

(Handwritten Signature)
 जपर समाहता
 मधेपुरा।
 (जाँच पदाधिकारी)

Ann-2

19

माननीय सदस्य नीलमणि

बिहार मानवाधिकार आयोग
9, बेली रोड, पटना


140

REGISTERED
POST

हैय प्रभु पदाधिकारी

शाखा: सामान्य

पत्रांक BHRC/Comp-257/12-3483/ पटना, दिनांक 12/3/2013



उप सचिव,
बिहार मानवाधिकार आयोग।

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा

सचिव,
बिहार मदरसा बोर्ड,
पटना।

समाहरणालय, मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)
नाम: 240201
संख्या: 43-20/13
दिनांक: 366-19/3/13

451

विषय :

श्रीमती रहमती खानुन से प्राप्त परिवाद पत्र के संबंध में आयोग द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 17 के अंतर्गत पारित आदेश का संसूचन।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा दिनांक 12.3.2013 को पारित आदेश की प्रति अवलोकनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ संलग्न है।

विश्वासभाजन

अभिलेखनंक :

1. आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2013 की प्रति।
2. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा का जांच प्रतिवेदन

12/3/13
उप सचिव

बिहार मानवाधिकार आयोग

6
16.3.13

H- 234856617

13

20

(File no. 257/2012)

39

Smt. Rahamati Khatoon , self proclaimed Manager, **Madhaili Madrasa**, Village Girbamaghaili PS/ Anchal- Shankarpur, Distirct. **Madhepura** had complained to the commission that Government land measuring **25.50 Acres** was allotted to Madrasa in the year 1983 and it was expected that the sale proceeds of crop on the said land will be utilized for the benefit of **Orphan boys getting education at Madrasa**. Contrary to it. Md. Meraj Alam, Rizwan Alam, Irfan Alam and Furkan Alam of the same village have been using this (govt.) land as their personal property. The petitioner requested for recovery of sale proceeds of crops and for depositing the same in the accounts of Madrasa to ensure it is utilized for the benefit of orphan boys attached with Madrasa.

2. District Magistrate, Madhepura, was directed by the commission to inquire into the matter. DM has submitted inquiry report to the commission which **confirms** that Gohar Alam, Manohar Alam, Sarvar Alam, Johar Alam, Anvarul Haq, Irfan Alam and Furkan Alam have been keeping the sale proceeds (by one estimation around **18 Lakhs**) of cultivation of 25.50 acres cultivatable land of Madrasa with themselves. According to the report, the situation has arisen due to **non constitution of committee** for Madarsa by the **Bihar Madrasa Board** after death of Md. Narul Hoda, the ex Manager of Madarsa in 2005.

3. Commission orders following actions to be taken in the matter:-

(a) Bihar Madrasa Board has not yet approved the formation of the new committee which is primarily responsible for the financial mess in the affairs of the Madrasa. **Secretary, Bihar Madrasa Board** will ensure formation of the new committee at once and communicate to the commission by **15th May, 2013 positively**.

(b) If for some reason delay is expected in the constitution of the committee, **Bihar Madrasa Board** should appoint a **RECEIVER** till such time the committee is formed.

(c) DM, Madhepura will entrust the work of evaluation of income from cultivation of fields belonging to Madrasa since 2005 to the **District Agriculture officer, Madhepura**. After evaluation of the financial gains wrongly pocketed by the beneficiaries named in the inquiry report of Additional Collector, Madhepura (letter no. 11/C dated 14.02.2013) **money shall be realised and deposited in the accounts of Madrasa by 15th June, 2013.**

4. Copy of the inquiry report of District Magistrate, Madhepura be sent to the **Secretary, Bihar Madrasa Board, Patna**.

5. Copy of the order be sent to the **District Magistrate, Madhepura** and **Secretary, Bihar Madarsa Board** for Compliance.

Neelmani
12.03.13
(Neelmani)
Member

Date: 12.03.2013

(4) 2-3

Ann-3

21

जम्मांक 106122/सा0,

समाहणालय, मधेपुरा
दिनांक 15-07-13

सेवा में,

1. मो0 इरफान आलम पे0 मो0 जमाल अहमद, सा0-पुरानी बाजार, वार्ड नं0-11, मधेपुरा/
2. मो0 अनवारूल हक पे0 स्व0 वाजूल हक, सा0-पुरानी बाजार, वार्ड नं0-11, मधेपुरा/
3. मो0 मनोवर आलम पे0 स्व0 बुरुल होदा, सा0-पुरानी बाजार, वार्ड नं0-10, मधेपुरा/
4. मो0 सरवर आलम पे0 स्व0 बुरुल होदा, सा0-पुरानी बाजार, वार्ड नं0-10, मधेपुरा/
5. मो0 गौहर आलम पे0 स्व0 बुरुल होदा, सा0-पुरानी बाजार, वार्ड नं0-10, मधेपुरा/

विषय : विहार मानवाधिकार आयोग वाद सं0-बी0एन0आर0सी0/कम्प.-257/12 श्रीमती रहमती जामली के परिवार पत्र पर दिनांक 12-03-2013 को पारित आदेश के आलोक में राशि जमा करके के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहया है कि विहार मानवाधिकार आयोग द्वारा दिनांक 12-03-2013 को पारित आदेश के आलोक में जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को इस कार्यालय के पत्रांक 527-2/सा0, दिनांक 31-03-2013 के द्वारा शंकरपुर अंचल अन्तर्गत जिरवा मधेली पंचायत के मदरसा साधिरिया मजदिया मधेली बाजार मदरसा के कुल भूमि 25.50 एकड़ में से कृषि योग्य भूमि से वर्ष 2005 से अद्यतन समय तक हुए उपज एवं उससे प्राप्त आय का आकलन कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया था। जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा ने अपने पत्रांक 422 दिनांक 22-05-2013 के द्वारा तत्संबंधी आंकलन प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसमें न्यूनतम बाजार मूल्य पर दर निर्धारित करते हुए आपके द्वारा उपयोग में लाए गए जमीन से फसल उत्पादन के आधार पर राशि की गणना कर 60 प्रतिशत लागत मूल्य छोड़कर 40 प्रतिशत राशि वसूली की अनुशंसा की गई है, जो निम्न प्रकार है :-

क्र.	नाम एवं पता	फसल का नाम	कुल औसत उत्पादन 07 वर्षों का क्वी0 में	व्युत्पन्न वर्तमान बाजार दर प्रति क्वी0 में	दोनों फसलों की अलग-अलग राशि	कुल राशि	60% लागत मूल्य	40% वसूली योग्य राशि
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.	मो0 इरफान आलम पे0 मो0 जमाल अहमद	गेहूँ धान	350 420	1350 1250	472500 525000	952500	571500	381000
2.	अनवारूल हक पे0 स्व0 वाजूल हक	गेहूँ धान	187.60 225.05	1350 1250	253260 281312	534572	320743	213829
3.	मनोवर आलम पे0 स्व0 बुरुल होदा	गेहूँ धान	303.80 364.56	1350 1250	410130 455700	865830	519498	346332
4.	सरवर आलम पे0 स्व0 बुरुल होदा	गेहूँ धान	609 730.80	1350 1250	822150 913500	1735650	1041390	694260
5.	गौहर आलम पे0 स्व0 बुरुल होदा	गेहूँ धान	121.10 142.32	1350 1250	163485 181450	345135	207081	138054

अतएव जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा से प्राप्त आंकलन प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में आपको निदेश दिया जाता है कि विवरणी कॉलन सं0-09 में वर्णित राशि अविलंब जिला नज्दत में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें एवं जिला नाजीर से बाजीर रसीद प्राप्त कर लें। यदि समय-सीमा के अन्दर राशि जमा नहीं की जाती है, तो आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

20/7/13
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

A-4
Am-4 (22)

BIHAR STATE MADRASA EDUCATION BOARD

5, Vidyapati Marg, Patna – 800001

No. _____

Dated, Patna _____ August-2013

OFFICE ORDER

Taking into consideration of local public meeting held on 20.01.2013 and the matter enquired by the enquiry officer. The newly constituted Managing Committee of Madrasa Sabiria, Jajidia, Madheli Bazar, Distt. Madhepura (Mad.No.259) headed by Mr. Shakil Ahmad as president & Mr. Md. Gauhar Alam as secretary is hereby approved by the Chairman, Bihar State Madrasa Education Board, Patna subject to the confirmation of the Board.

Details of Members as follows :-

Sl. No.	Name	Designation
1.	Shakil Ahmad	President
2.	Md. Gauhar Alam	Secretary
3.	Abdus Sattar	Member
4.	Abrarul Haque	Member
5.	Md. Razwan Alam	Member
6.	Md. Mahmuddin	Member
7.	Md. Israil (Head Moulvi)	Member
8.	Md. Israrul Haque (Teacher Representative)	Member

By order of the chairman

sc
(Md. Tasnimur Rahman)

Secretary

Bihar State Madrasa Education Board, Patna

Dated, Patna 19/8/13

Memo No. 5636-44

Copy Forwarded to :

- (1) President/Secretary & all concerned members of the Managing Committee of Madrasa Sabiria, Jajidia, Madheli Bazar, Distt. Madhepura for information.
- (2) Head Moulvi of the said Madrasa for information.
- (3) District Education Officer Madhepura for information and necessary action.

sc
(Md. Tasnimur Rahman)
Secretary
19.8.13

Bihar State Madrasa Education Board, Patna

sc
19.8.13

۱۳/۱۳ کی کارروائی سے درج ذیل لیٹر دیندہ نے تشکیل کھٹی ہے
 قبل ہی ایک ملائی بیٹھک میں اپنے ذمے میں کیا حساب آگاہ کر دیا
 جو حساب نئی کھٹی کو تاریخ ۱۳/۱۳ کو سپرد کر دیا اور باقی
 رقم ایک ہفتہ میں دینے کی صحت لی۔

لیٹر دیندہ سے وصولی رقم تاریخ

عرفان عالم لیٹر دیندہ	۸۵۰۰۰/	میلنگ کھٹی
انوار الی	۳۵۰۰۰/	پیش
گوپ عالم	۲۵۰۰۰/	ایک لاکھ
ظہیر عالم	۴۰۰/	کو

روضہ ۱۳/۱۳ کے لیٹر دیندہ میں سے ایک لیٹر دیندہ کی طرف سے
 وصولی لائن کے لیٹر درج ذیل لیٹر دیندہ نے سکرٹری کو وصولی
 لیٹر رقم دستیاب کرایا۔

روضہ ۱۳/۱۳ عرفان عالم	۵۰۰۰۰/
روضہ ۱۳/۱۳ گوپ عالم	۸۰۰۰۰/
روضہ ۱۳/۱۳ انوار الی	۲۵۰۰۰/
روضہ ۱۳/۱۳ ظہیر عالم	۴۰۰/

۱,۵۵۴۰۰/ =

روضہ ۱۳/۱۳ عرفان عالم	۳۵۰۰۰/
روضہ ۱۳/۱۳ گوپ عالم	۸۰۰۰۰/
روضہ ۱۳/۱۳ انوار الی	۱۰۰۰۰/

Secretary
 Madarsa S. B. M. Madhallala
 AT & P. O. ...
 District ...

۸۵۰۰۰
 ۱,۵۵۴۰۰
 ۲,۴۰,۵۰۰

P.T.O

सेवा में,

श्री मान् जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

विषय :- मदरसा साविरिया मजीदिया (सं०-259) मधैली बाजार, अंचल- शंकरपुर जिला-मधेपुरा के छात्रावास, शौचालय आदि निर्माण में हो रहे व्ययधान के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदनपूर्वक कहना है कि मौजा- जीरवा, थाना बं०207 खाता सं०-2705 खेसरा सं० 12820 रकबा- 04 डिसमिल भूमि मो० शमशुल हक पिता- स्व० अब्दुल हकीम साकिन- जीरवा, टेला- मधैली थाना- शंकरपुर जिला- मधेपुरा की थी। परन्तु हाल सर्वे में उक्त भूमि बिहार सरकार के नाम से दर्ज हो गया तथा अवैध दखल शमशुल हक के नाम से रहा। उक्त भूमि बिहार सरकार के नाम से दर्ज हो जाने के विरुद्ध शमशुल हक ने बी०टी०एक्ट की धारा 106 में वाद सं० 21902/84 बंदोवस्त पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में दायर किया। बाद में ग्रामीणों के अनुरोध पर तथा मदरसा के हित को ध्यान में रखते हुए शमशुल हक ने उक्त भूमि को मदरसा में दानकर दिया तथा उक्त वाद में मदरसा साविरिया मजीदिया, मधैली बाजार को सूर्पद करते हुए शमशुल हक वाद से हट गये। बंदोवस्त पदाधिकारी, सहरसा द्वारा उक्त वाद में सुनवाई के पश्चात् दिनांक 26.08.2004 को मदरसा साविरिया मजीदिया, मधैली बाजार के पक्ष में आदेश पारित किया गया।

उक्त आदेश के आलोक में खतियान में सुधार (तरमीम) किया जाना था परन्तु दुर्भाग्यवश ससमय तरमीम नहीं करवाया जा सका।

इसी बीच एक अन्य वाद जो जयनारायण यादव पे० करी यादव ग्राम- जीरवा टेला- मधैली अंचल- सिर्हेश्वर (वर्तमान में शंकरपुर) द्वारा दायर वाद सं० 20918/84 में जालसाजी कर रहमती खातुन पिता- मो० खातीम, सा० जीरवा, टेला- मधैली, अंचल- शंकरपुर, मध्यवर्ती वादी बन कर एक गलत एवं फर्जी आदेश दिनांक 23.06.2008 को पारित कर ली। कथित फर्जी वाद/ आदेश में उक्त भूमि के अवैध कब्जाधारी मो० शमशुल हक को पक्षकार भी नहीं बनाया गया। कथित वाद सं० 20918/84 में जयनारायण यादव ने जो केवाला प्रस्तुत किया, उसी केवाला को रहमती खातुन ने भी जालसाजी करके अपने साक्ष्य के रूप में बंदोवस्त न्यायालय में समर्पित किया है जिसमें मदरसा से संबंधित खेसरा सं० 12820 का कोई उल्लेख भी नहीं है। सर्वे न्यायालय के द्वारा कभीभूत होकर बिना उचित कामजात को देखे ही गलत तरीके से फर्जी आदेश पारित कर दिया गया तथा फर्जी तरीके से तरमीम भी कर दिया गया। जब इस मामले की विस्तृत जानकारी जिला पदाधिकारी, मधेपुरा एवं सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, सहरसा को दी गई तो जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा लगान रसीद निर्गत नहीं करने का आदेश अंचल अधिकारी, शंकरपुर को दिया गया।

उक्त आदेश के आलोक में सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी श्री आर०अहमद के द्वारा विविध वाद सं० 9/2011-12 भक्ति कर दोनों पक्ष को निर्बंधित डाक द्वारा नोटिस भेजी गई और संबंधित कामजात की मांग की गई। मदरसा साविरिया मजीदिया की ओर से लगान रसीद, खतियान एवं अन्य कामजात समर्पित किया गया परन्तु रहमती खातुन द्वारा कोई कामजात समर्पित नहीं किया गया।

श्री मान्, उल्लेखनीय है कि रहमती खातुन एक निहायत ही चरित्रहीन महिला है, जो अपने चार पतियों को छोड़ चुकी है। विभिन्न तरीके से मदरसे की भूमि को हड़पने के उद्देश्य से तथा अपना दबाव बनाने के लिए बिहार महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग तथा अन्य न्यायालयों एवं सरकारी कार्यालयों किसी न किसी गलत मामले को आधार बनाते हुए वाद दायर करती रही है तथा सभी मामलों में उसका पक्ष गलत साबित होता रहा है। उदाहरण स्वरूप कुल मामलों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है-

1. रहमती खातुन द्वारा महिला आयोग, बिहार के समक्ष दिनांक 18.08.2008 को एक आवेदन समर्पित की गई है जिसमें उन्होंने मदरसे का खेसरा सं० 12820 का बासगीत पर्चा निर्गत करने हेतु अनुरोध की है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बी०टी०एक्ट की धारा 106 से संबंधित वाद सं० 20918/84 में मध्यवर्ती वादी बनकर केवाला द्वारा प्राप्त भूमि बताई गई। श्री मान् जब रहमती खातुन को प्रश्नगत भूमि केवाला द्वारा प्राप्त थी तो उसने पुनः उसी जमीन के लिए बासगीत पर्चा निर्गत करने का अनुरोध क्यों की।
2. रहमती खातुन के द्वारा मानवाधिकारी आयोग, बिहार के समक्ष भी आवेदन दिया गया था जिसकी जाँच जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से कराई गई है तथा जाँच प्रतिवेदन भी मानवाधिकार आयोग को भेजा गया है। जिला पदाधिकारी के उक्त जाँच प्रतिवेदन में भी प्रश्नगत भूमि को मदरसे की भूमि बताई गई है। उक्त आवेदन में रहमती खातुन द्वारा अपने को मदरसे का प्रबन्धक बताकर फर्जी तरीके से मामले को पेश की थी। मानवाधिकार आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रहमती खातुन के आवेदन को निसघार बताते हुए खारिज कर दिया है।
3. रहमती खातुन द्वारा अनावश्यक ग्रामीणों को फंसाये जाने के कारण ग्रामीणों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के जनता दरबार में दिये गये आवेदन की स्थानीय जाँच स्थानीय विभिन्न पुलिस पदाधिकारियों द्वारा की गई तथा पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा उनके पत्रांक 268/पी०मो० दिनांक 16.02.2011 द्वारा उम सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना को जाँच प्रतिवेदन भी भेजा गया है। जाँच के क्रम में पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष रहमती खातुन द्वारा मदरसे की भूमि को अतिक्रमण नहीं करने तथा उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं रहने की बात कबूल की थी तथा रहमती खातुन के द्वारा जाँच के समय कोई कागजात भी प्रस्तुत नहीं की गई थी। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होगा कि उक्त भूमि मदरसे की ही है तथा मदरसे के दखल कब्जे में है। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि मदरसे की भूमि बॉस-बती से घेरा हुआ है तथा रहमती खातुन इधर कई वर्षों से अपने पिता के घर में रहती है।
4. रहमती खातुन के द्वारा वर्ष 2013 में भी पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को एक मूलत आवेदन समर्पित की थी , जिसकी जाँच थानाध्यक्ष, शंकरपुर के द्वारा कराई गई थी। थानाध्यक्ष, शंकरपुर के ज्ञापक 216 दिनांक 24.04.2013 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसकी छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। उक्त जाँच प्रतिवेदन में भी रहमती खातुन द्वारा मदरसे की जमीन को हड़पने तथा लगभग सौ साल पुराने नारियल के पेड़ को काटने का उल्लेख थानाध्यक्ष द्वारा किया गया है।
5. श्री मान् दिनांक 10 नवम्बर 2000 को रहमती खातुन की शादी जमशेर पिता- जमाल ग्राम+पोस्ट- साहुमढ़ थाना+जिला- मधेपुरा के साथ हुई थी, जिसका निकाह नामा इसके साथ संलग्न है। इसके अतिरिक्त मो०नईम पिता- शमशुल ग्राम-मधैली बाजार, थाना शंकरपुर तथा मो० वर्साद पिता-मो०सफ़ीक, ग्राम- सहरसा बस्ती, सहरसा के साथ भी रहमती खातुन की शादी हुई थी। रहमती खातुन की बदचलनी की वजह से सभी पूर्व पतियों को वे छोड़ चुकी है।
6. बदचलनी के कारण रहमती खातुन द्वारा एक मुकदमा विकास चन्द्र वर्मा पिता कामेश्वर लाल दास ग्राम खनी बभनग्राम थाना- बिहारीगंज जिला- मधेपुरा जो भंडारपाल के पद पर सिहेश्वर स्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थापित थे, के उपर दायर की गई थी। दर्ज प्राथमिकी में रहमती खातुन पति मो०कमरुज्जमा उर्फ आदील, ग्राम मधैली बताकर दिनांक 23.04.2006 को शंकरपुर थाना कांड संख्या 353/2006 दफ़ा 366,376, 120बी० भा०द०वि० अन्तर्गतरूप

मुकदमा दायर किया गया तथा एक मोटी रकम लेकर उस मामले पुनः मेल भी कर ली। उस समय उसका ससुराल ग्राम- बिसहरिया थाना भरगामा, जिला- अररिया था।

श्री मान् वर्ष 2005 में मदरसा के सचिव मो० नुरुलहौदा एवं अध्यक्ष मजहर आलम की मृत्यु के बाद मदरसा कमिटी के भंग हो जाने के कारण रहमती खातुन पिता- मो० खातिम के द्वारा मदरसे की भूमि को हड़पने के उद्देश्य से अनावश्यक मुकदमा आदि में फंसाकर ग्रामीणों के उपर दबाव बनाकर तथा थाना, न्यायालय, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग एवं विभिन्न कार्यालयों आदि में अनावश्यक पत्राचार करती रही है। अब वर्ष 2013 में बिहार मदरसा बोर्ड के आदेशानुसार मदरसे की कमिटी गठित हो चुकी है तथा मदरसा कमिटी द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में मदरसे के बच्चों के लिए छात्रावास बनाना चाह रही है तो उक्त कार्य में भी रहमती खातुन द्वारा अड़वण डाली जा रही है।

श्री मान्, खेसरा संख्या- 12819, 12816 तथा 12817 में हॉस्टल, शौचालय आदि का निर्माण किया जाना है। उक्त खेसरों के आगे खेसरा सं० 12820 पड़ता है। उक्त तीनों खेसरों में जाने का रास्ता खेसरा संख्या 12820 होकर ही है जो वर्तमान में खाली है, जिसे रहमती खातुन बेवजह अवरुद्ध कर प्रस्तावित निर्माण कार्य को रोक रही है, जबकि उक्त कार्य मदरसा कमिटी के अलावे पुरे ग्रामीणों की सहमति से की जा रही है। उल्लेखनीय है कि रहमती खातुन के पिता का घर खेसरा संख्या- 12815 में अवस्थित है तथा खेसरा संख्या 12820 से उसे कोई सरोकार नहीं है। ग्रामीणों एवं मदरसा कमिटी के सदस्यों को यह डर है कि रहमती खातुन के द्वारा पुनः कोई बूते मुकदमा में न फंसा दे ।

अतः श्री मान् से प्रार्थना है कि उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मदरसा साविरिया मजीदीया, मधौली बाजार, अंचल- शंकरपुर में अवस्थित छात्र-छात्राओं के हित में छात्रावास आदि निर्माण हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने हेतु आदेश देने की कृपा की जाय ताकि कोई अप्रिय घटना न होने पावे तथा शान्ति व्यवस्था बनी रहे।

विश्वासभाजन,

६०

सचिव, मदरसा कमिटी,
मदरसा साविरिया मजीदीया,

एवं अन्य ग्रामीण मधौली बाजार, शंकरपुर

प्रतिलिपि - पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि - अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि - थानाध्यक्ष, शंकरपुर थाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Mohor Alam
सचिव, मदरसा कमिटी, 60.06.014

मदरसा साविरिया मजीदीया,

एवं अन्य ग्रामीण मधौली बाजार, शंकरपुर

(1) 31.08.14

(2) 10/8/14

(3) 10/8/14

अवसरानुसार
1 - मौं इफ्तेशार

3. उखला कुहू

4. ~~.....~~ - मौं युसुफ

5. 4719; आलम

6. मौं शफ़ातुल ज

7. मौं जुवैर

8. मौं तनीर

9. Zafar Iqbal.

10. ~~.....~~ मौं अस्मि

11. ~~.....~~

~~.....~~ मौं ताहिर

~~.....~~ मौं जाकीर

~~.....~~ - मौं इदरीस

4719 - मौं सुरआलम

~~.....~~ मौं कैथुम

~~.....~~ मौं अलाउद्दीन (बड़ा)

अवसरानुसार

~~.....~~ मौं नसीम

مدرسہ کا پچھلا بٹا، ارفق مبلغ ۲۰۰۰/۲۰۰۰ روپے
اس میں محمد احمد سال ۲۰۱۲ء کا فصل دھان ڈیپٹی کمشنر
۲۰۱۱

آمدنی: ۲۰۰۰ روپے سال ۲۰۱۱-۱۲

Hoqorablam

31.12.2013

SECRETARY

Mada Sa S. J. S. M. G. Ra
AT & P. O. 13 - Madhaili
District - Madhapura

۱۳/۱۳ء کی کارروائی سے درج ذیل لیٹر دینڈہ نے تشکیل کئی ہے
 قبل ہی ایک ملائی سٹمک میں اپنا بے ذمے میں کیا حساب آگاہ کر دیا
 جو حساب نئی کھٹی کو تاریخ ۱۳/۱۳ء کو سپرد کر دیا اور باقی
 رقم ایک ہفتہ میں دینے کی ہدایت کی۔

لیٹر دینڈہ سے وصولی رقم کے تاریخ

عرفان عالم لیٹر دینڈہ نیپارائی بر ۸۵۰۰۰/ = ملے بجائی
 انوار الی ڈی و عظامتی ۳۵۰۰۰/ =
 گوپ عالم تھو کھائی ۲۵۰۰۰/ = ایک کوپن
 مظہر عالم ۴۰۰/ =

موضوع ۱۳/۱۳ء کے لیٹر دینڈہ میں ملے گئے فیصلے کے مطابق
 وصولی نوٹس کے لیٹر درج ذیل لیٹر دینڈہ نے سکرٹری کو وصول
 رقم دستیاب کر آیا۔

موضوع ۱۳/۱۳ء عرفان عالم ۸۵۰۰۰/ =
 گوپ عالم تھو کھائی ۳۵۰۰۰/ =
 انوار الی ۲۵۰۰۰/ =
 مظہر عالم ۴۰۰/ =

۱,۵۵۴۰۰/ = ملے ایک کوپن

Secretary

SECRETARY

Madrasa S. B. M. Madhalla
 AT & P. O. Madhalla
 District Madhalla

موضوع ۱۳/۱۳ء عرفان عالم ۸۵۰۰۰/ =
 گوپ عالم تھو کھائی ۳۵۰۰۰/ =
 انوار الی ۲۵۰۰۰/ =

۸۵۰۰۰
 ۱,۵۵۴۰۰
 ۲,۴۰۴۰۰

P.T.O